कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

(12)

PBR/ निगरानी/ गुना/ भू रा/2017/01534

माननीय राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर (म.प्र.)

प्र. क्र. /17 निगरानी माल

1. कोसाबाई विधवा करण सिंह गूजर आयु लगभग 81 वर्ष, व्यवसाय–गृहकार्य
2. कैलाश पुत्र स्व. करण सिंह गूजर आयु 55 वर्ष
3. दोलत सिंह पुत्र स्व. करण सिंह गूजर आयु 50 वर्ष
4. हाकिम सिंह पुत्र स्व. करण सिंह गूजर आयु 45 वर्ष
5. विजय सिंह पुत्र स्व. करण सिंह गूजर आयु 45 वर्ष निवासीगण– ग्राम झिर, पो. गेहूखेड़ा तहसील एवं जिला गुना

.................आवेदकगण

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर गुना

................अनावेदकगण

श्री राजेश जैन कलेक्टर गुना के प्र.क्र. 42/स्व.निग/2012–13 में दिनांक 08/03/2017 को पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन निगरानी

श्री ... भूषण शर्मा एडवोकेट द्वारा आज दि. 29/5/17 को पेश।

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पीबीआर / निगरानी / गुना / भू.रा. / 2017 / 1534 जिला गुना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1–8–2017	उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । कलेक्टर जिला गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–3–17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । कलेक्टर के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि आवेदिका द्वारा पटटे की भूमि को वर्ष 1995 में विकय किया गया है, जबकि वर्ष 1992 के बाद पट्टे की भूमि का विकय बिना कलेक्टर की अनुमति के नहीं किया जा सकता है, परन्तु आवेदिका द्वारा पटटे में प्राप्त भूमि का विकय वर्ष 1995 में कलेक्टर की अनुमति प्राप्त किये बिना किया गया है । अतः कलेक्टर द्वारा पटटा निरस्त कर भूमि शासकीय घोषित करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । कलेक्टर द्वारा पारित आदेश संहिता के प्रावधानों के अनुरूप होने से स्थिर रखे जाने योग्य है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। अध्यक्ष	